2019 का विधेयक संख्यांक 129

[दि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 1 का संशोधन ।

2008 का 34

2. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ग) में, "व्यक्तियों को" शब्दों के पश्चात् "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं ;" ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में, "गठित विशेष न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में, "भारत में" शब्दों के पश्चात् "और किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या संबंधित राष्ट्र की देशीय विधि के अधीन रहते हुए भारत के बाहर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(8) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जहां इस अधिनियम का विस्तार है, कोई अनुसूचित अपराध किया जाता है, तो वह अभिकरण को इस प्रकार केस रजिस्टर करने और अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए निदेश दे सकेगी, मानो ऐसा अपराध भारत में किया गया हो ।

(9) उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "विशेष न्यायालयों का गठन करने" शब्दों के स्थान पर, "सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(क) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से एक या अधिक सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी ;';

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "उच्च न्यायालय" पद से उस राज्य का, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जाने वाला, कोई सेशन न्यायालय कार्य कर रहा है,

उच्च न्यायालय अभिप्रेत है ।';

(iii) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) का लोप किया जाएगा' ;

(iv) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) शंकाओं को दूर करने के लिए यह उपबंध किया जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेशन न्यायालय के सेशन न्यायाधीश द्वारा उस सेवा में, जिससे वह संबंधित है, उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेना उसके विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बने रहने को प्रभावित नहीं करेगा और केंद्रीय सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक या उसके समक्ष मामले या मामलों का, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विचारण पूरा होने तक न्यायाधीश बना रहेगा ।";

(v) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) जब किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय अभिहित किए जाते हैं तो उनमें कार्य का वितरण ज्येष्ठतम न्यायाधीश करेगा ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "विशेष न्यायालयों का गठन करने" शब्दों के स्थान पर, "सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, "एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन" शब्दों के स्थान पर, "एक या अधिक सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में "गठित" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "अभिहित" शब्द रखा जाएगा ।

अनुसूची का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) क्रम सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) ;

1क. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33);";

(ii) क्रम सं0 3 में, "1982 (1982 का 65)" अंकों, कोष्ठकों और शब्द के स्थान पर, "2016 (2016 का 30)" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) क्रम सं0 8 में, "प्रविष्टि (ख)" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(ख) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 16 की धारा 370 और धारा 370क ;

(ग) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 489क से धारा 489ङ, (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) ;

(घ) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अध्याय 5 की धारा 25 की उपधारा (1कक) ; 5

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अध्याय 11 की धारा 66च ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (अधिनियम), भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय अभिकरण का गठन करने के लिए किया गया था ।

2. अनुसूचित अपराधों, जिसके अंतर्गत भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध भी है, के त्वरित अन्वेषण और अभियोजन को सुकर बनाने के लिए, और अधिनियम की अनुसूची में कतिपय नए अपराध अनुसूचित अपराधों के रूप में अंत:स्थापित करने के लिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, अधिनियम के कतिपय उपबंधों का संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में नया खंड (घ), ऐसे व्यक्तियों को, अधिनियम के उपबंध लागू करने के लिए, जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं, अंत:स्थापित करने ;

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का संशोधन करने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अधिकारियों की वैसी ही शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व होंगे जो अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी प्रयोग की जाती रही हैं, का उपबंध करने हेतु ;

(iii) अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने जिससे कि भारत के बाहर कारित किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में अभिकरण को केस रजिस्टर करने और अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए निदेश देने के लिए, केन्द्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके, मानो ऐसा अपराध भारत में किया गया हो ;

(iv) अधिनियम की धारा 11 और धारा 22 का संशोधन करने जिससे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के संचालन हेतु एक या अधिक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित कर सकें ; और

(v) अधिनियम की अनुसूची का संशोधन करने, जिससे कि उक्त अनुसूची में कतिपय नए अपराधों को अंत:स्थापित किया जा सके ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 जून, 2019

अमित शाह

उपाबंध

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना ।

1. (1) * * * *

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह—

* * * * *

(ख) सरकार की सेवा में व्यक्तियों को, जहां भी वे हों ; और

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर, जहां भी वे हों, व्यक्तियों को,

भी लागू होता है ।

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ज) "विशेष न्यायालय" से, यथास्थिति, धारा 11 या धारा 22 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ;

* * * * *

अध्याय 2

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन ।

3. (1) * * * *

(2) ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, अभिकरण के अधिकारियों को अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण और ऐसे अपराधों में सम्पृक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में संपूर्ण भारत में वे सभी शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व होंगे जो उनके अधीन कारित अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को होते हैं ।

* * * * *

अध्याय 4

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयों का गठन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन करेगी ।

* * * * *

(3) विशेष न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश ऐसा न्यायाधीश होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा ।

(4) अभिकरण विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को आवेदन कर सकेगा ।

(5) मुख्य न्यायमूर्ति, उपधारा (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, यथासंभवशीघ्र और सात दिन के अपश्चात् विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करेगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार, यदि अपेक्षित हो, विशेष न्यायालय में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर, एक या अधिक अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(7) विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा जब वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो ।

(8) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह उपबंध किया जाता है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा उस सेवा में, जिससे वह संबंधित है, उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेना उसके ऐसे न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में बने रहने को प्रभावित नहीं करेगा और केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक या उसके समक्ष मामले या मामलों का, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विचारण पूरा होने तक, न्यायाधीश बना रहेगा ।

(9) जहां विशेष न्यायालय में एक या अधिक अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, समय-समय पर, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा सभी न्यायाधीशों के, जिनके अंतर्गत वह स्वयं और अपर न्यायाधीश भी हैं, बीच विशेष न्यायालय के कारबार के वितरण के लिए और अपनी अनुपस्थिति या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक कारबार के निपटारे के लिए भी उपबंध कर सकेगा ।

* * * * *

विशेष न्यायालय गठित करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

22. (1) राज्य सरकार, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या सभी अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के विचारण के लिए, एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी ।

(2) इस अध्याय के उपबंध उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए विशेष न्यायालयों को लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(i) धारा 11 और धारा 15 में, "केंद्रीय सरकार" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य सरकार" के प्रति निर्देश हैं ;

(ii) धारा 13 की उपधारा (1) में, "अभिकरण" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "राज्य सरकार के अन्वेषण अभिकरण" के प्रति निर्देश है ;

(iii) धारा 13 की उपधारा (3) में, "भारत के महान्यायवादी" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "राज्य के महाधिवक्ता" के प्रति निर्देश है ।

(3) किसी विशेष न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के मामले में उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष न्यायालय गठित किए जाने तक संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उस खंड के सेशन न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिसमें ऐसा अपराध किया गया है और उसको सभी शक्तियां होंगी तथा वह इस अध्याय के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

(4) उस तारीख से ही, जब राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण किए गए किसी अपराध का विचारण, जिसका विशेष न्यायालय के समक्ष किया जाना अपेक्षित होता, उस तारीख को, जिसको उसका गठन किया गया है, उस न्यायालय में अंतरित हो जाएगा ।

* * * * *

अनुसूची

[धारा **2(1)**(च) देखिए]

1. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) ;

* * * * *

3. यान हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 65) ;

* * * * *

8. निम्नलिखित के अधीन अपराध—

* * * * *

(ख) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 489क से धारा 489ङ (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) ।

* * * * *

MGIPMRND—1056LS(CRC)—1-7-2019.